

प्रारूप "एक"

(निर्देश दिनांक 12.3.1997 की कंडिका क्र. 8 (2) देखें)

अन्य पिछड़े वर्गों की जातियों के लिये

स्थायी प्रमाण पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग रांझी जिला जबलपुर मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक 56 प्रकरण क्रमांक 1286/B-21/10-11
प्रमाण पत्र क्रमांक 73

- : जाति प्रमाण पत्र :-

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सत्यभ सोनी
आत्मज श्री राजमोहन सोनी निवासी ग्राम/शहर 846 मारका नगर
तहसील जबलपुर जिला जबलपुर मध्यप्रदेश के निवासी हैं जो सुनार जाति
के हैं जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की
अधिसूचना क्र.एफ. 8-5-पच्चीस-4-84 दिनांक 26 दिसंबर 1984, पिछड़ा वर्ग, कल्याण विभाग की अधिसूचना
क्रमांक एफ 23-4-97-चौवन, दिनांक 2 अप्रैल, 1997 तथा इस संदर्भ में समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा
अधिमान्य किया गया और जो सूची क्रमांक 32 पर अंकित है।

श्री सत्यभ सोनी और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के जिला
..... जबलपुर संभाग जबलपुर में निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजमोहन सोनी क्रिमीलेयर (संपन्न वर्ग)
व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं जिसका उल्लेख मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन के ज्ञाप. क्रं. एफ.7-26
-93-1-आ.प्र., दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट "ई" की अनुसूची के कालम्ब (3) में किया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी सत्यभ सोनी
के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये है।

दिनांक 26/9/11
(सील)



प्रमाणीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
(राजेश राय)
अनुविभागीय अधिकारी एवं प्रमाणिकारी
अनुभाग-रांझी, जिला-जबलपुर